झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

आदेश

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा शिकायतों के निवारण एवं सुनवाई के संबंध में।

1. राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। यह अधिनियम लाभुकों को भोजन का अधिकार प्रदान करती है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतित करने हेतु सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को निर्धारित दर पर ससमय निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय। इस परिपेक्ष्य में यह आवश्यक है कि अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों के बीच खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु योजना का व्यापक अनुश्रवण किया जाय तथा लाभुकों के वंचित रहने की स्थिति में उन्हें अपनी व्यथा व्यक्त एवं इसके निराकरण का सुनियोजित व्यवस्था उपलब्ध करायी जाय। इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति/पदाभिहित एवं धारा 16 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग के गठन/पदाभिहित किये जाने का प्रावधान है।

2. अधिनियम के अन्तर्गत उक्त प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2853, दिनांक 26.05.2015 द्वारा राज्य में संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता को अपने क्षेत्रान्तर्गत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण सबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए और इस अधिनियम के अधीन हकदारियों के प्रवर्तन के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

4. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी जिला स्तर पर अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जाँच करते हुए इसका निवारण करेंगे। प्राप्त शिकायतों की सुनवाई एवं उसके निवारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेंगी:–

(i) अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुक खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष लिखित रूप से शिकायत कर सकेंगे।

(ii) लाभुक अपनी शिकायत आवंटन माह के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक माह के अन्दर कर सकते हैं। विदित हो कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत लाभुक आवंटित माह का खाद्यान्न उक्त माह एवं उसके बाद वाली माह तक प्राप्त कर सकते हैं। उक्त परिपेक्ष्य में यदि लाभुक को आवंटित माह अप्रैल का खाद्यान्न नहीं प्राप्त हुआ है तो वैसी स्थिति में 01 जून से 30 जून तक वे अपना शिकायत लिखित रूप से जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष कर सकते हैं। शिकायत के लिए निर्धारित एक माह की अवधि के पश्चात् की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी उक्त शिकायत की जाँच करते हुए उसका निवारण करेंगे। अगर विशेष परिस्थिति में शिकायत का निवारण निर्धारित अवधि में नहीं किया जा सका है तो सम्पूर्ण कारणों को दर्शाते हुए संबंधित जिला के उपायुक्त से एक माह के लिए अवधि विस्तार प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों से प्राप्त होने वाले शिकायतों के अतिरिक्त जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गठित, सतर्कता समितियों के सदस्यों से प्राप्त शिकायतों का भी निवारण करते हुए अधिनियम के उल्लघंन, निधियों के दुरुपयोग इत्यादि के संबंध में दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य खाद्य आयोग/विभाग/निदेशालय/संबंधित जिले के उपायुक्त/अनुज्ञापन पदाधिकारी को अनुशंसा कर सकते हैं।

(iv) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के लिए कार्यालय का प्रकोष्ठ संबंधित जिला मुख्यालय में अवस्थित रहेगा।

(vi) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों के आलोक में पारित आदेश एवं शिकायतों के निवारण से संतुष्ट नहीं होने पर प्रभावित व्यक्ति 30 दिनों के अन्दर राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपील दायर करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं शिकायत निवारण से संबंधित निर्गत अन्य दस्तावेज को भी राज्य खाद्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(vii) बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति में दोषियों के विरूद्ध अधिनियम में प्रावधानित आर्थिक दण्ड हेतु जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा राज्य खाद्य आयोग को अनुशंसा की जायेगी।

(viii) लाभुक या अन्य व्यक्तियों द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भ्रामक/छद्म/गलत शिकायतों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जायेगी।

5. संबंधित जिला के जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि माहवार रूप से प्राप्त शिकायतों एवं निवारण की गई शिकायतों से संबंधित आँकड़ें विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

ह0/–

(विनय कुमार चौबे),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (DGRO) 7–15/2015 /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपि– सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (DGRO) 7–15/2015 4530 /राँची, दिनांक– 03-5-16
प्रतिलिपि– निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड/महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची एवं जमशेदपुर/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) धनबाद/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।